न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136 एल.आर.एक्ट मु.नं. 34/19 जी.सी.एम.एस. 2021/00057

1. पुरूषोतम मालव पुत्र धन्नालाल मालव उम्र 46 वर्ष जाति धाकड।
2. बृजमोहन पुत्र धन्नालाल उम्र 53 वर्ष जाति धाकड।
3. रामनारायण पुत्र धन्नालाल उम्र 58 वर्ष जाति धाकड निवासीगण सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री अश्विनी कुमार मालव।
अप्रार्थी की राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक–10.08.2021

प्रार्थीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास के खाता संख्या नया 427 की खसरा नबंर 2487 की रकबा 2.48 है0 भूमि स्थित है।

यह कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से धन्नालाल के स्थान पर चंदालाल अंकित हो गया है, जो गलत व असत्य है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों, वोटरं आई0डी0 पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में धन्नालाल ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने तथा प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता नाम धन्नालाल अंकित होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है। तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी के प्रति बैंक, सहकारी समिति व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने भी समस्या हो रही है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माल ग्राम सावनभादौ के खाता संख्या 427 की खसरा नबंर 2487 की रकबा 2.48 है0, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम चंदालाल के स्थान पर धन्नालाल अंकित किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राज्य सरकार की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

ावनभादौ सम्वत 2047—50 खाता संख्या 359 खसरा नबंर 1236 में खातेदार रामनारायण, बृजमोहन, पुरूषोतम पिसरान धन्नालाल कोम धाकड दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2051—54 खाता संख्या 382 खसरा नबंर 1236 में खातेदार का नाम रामनारायण, बृजमोहन, पुरूषोतम पुत्र चंदालाल कोम धाकड दर्ज हुआ है। जो कि त्रृटि वर्तमान जमाबंदी तक चल आ रही है। अतः ग्राम सावनभादौ के खसरा नबंर 1236 में खातेदारन रामनारायण, बृजमोहन, पुरूषोतम पि0 चन्दालाल के स्थान पर रामनारायण, बृजमोहन, पुरूषोतम पुत्रान धन्नालाल दर्ज किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा पेरोकार सरकार के प्रस्तुत जवाब , प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, नकल जमाबंदी सम्वत 2051—54, का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम धन्नालाल अंकित है। इसलिये हम ग्राम सावनभादौ के वर्तमाल खसरा नबंर 2487 रकबा 2.48 है0, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण पुरूषोतम, बृजमोहन रामनारायण के पिता का नाम चन्दालाल के स्थान पर धन्नालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सावनभादौ के वर्तमान खसरा नबंर नबंर 2487 रकबा 2.48 है0, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण पुरूषोतम, बृजमोहन रामनारायण के पिता का नाम चन्दालाल के स्थान पर धन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल—दरामद करने हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा